अध्याय II

अधिकारियों और कर्मचारियों की अधिकार व कर्तव्य

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्य मुख्य रूप से बीमा अधिनियम, 1938, साधारण बीमा (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (वर्ष 2002 में संशोधन के पश्चात से) आईआरडीए अधिनियम, 1999 और कंपनी के ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम के प्रावधानों से प्राप्त होते हैं। ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एक गैर-जीवन बीमा कंपनी, वाणिज्यिक संस्था है। कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कंपनी के वाणिज्यिक प्रचालनों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसे कंपनी की संस्थागत नियमावली में विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के ग्रहणाधिकार में है।

कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों को मुख्यतः नौकरी विवरण मैन्युअल, नियुक्ति की सेवा शर्तों व प्राधिकारों की सुपुर्दगी से प्राप्त होते हैं। कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों के अधिकार व कर्तव्यों को कंपनी के व्यवसाय प्रचालनों को करने तक ही सीमित किया जाता है।

कंपनी के कर्तव्यों व दायित्वों को पूरा करते समय यहां इसके अंतर्गत तैयार किए गए नियमों व अधिनियमों तथा भारतीय संविधान के लागू प्रावधानों व अन्य लागू प्रतिमानों को पूरा करते हैं।

CHAPTER II

POWERS AND DUTIES OF OFFICERS AND EMPLOYEES

The powers & duties of the officers and employees of the Company are derived mainly from the provisions of the Insurance Act 1938, General Insurance (Nationalization) Act 1972(since amended in 2002) IRDA Act 1999 and Memorandum & Articles of Association of the Company. Oriental Insurance Company Limited, a non-life insurance Company, is a commercial organization. The officers & employees of the Company are appointed for carrying out the business operations of the Company, which are in line with the objectives specified in the Memorandum of Association of the Company.

The powers & duties of the officers and employees of the Company are derived mainly from the job descriptions, manuals, terms and conditions of appointment and delegation of authority. The powers and duties of the officers & employees of the Company are limited only to carry out the business operations of the Company.

While discharging duties and responsibilities, officers & employees of the Company are complying with the applicable provisions of the Constitution of India and other applicable Statues and rules & regulations framed there under.